

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/सिविल लिस्ट/आकाशि/2023/

दिनांक: मई 2024

### आदेश

राज्य सरकार का अ.शा.पत्रांक प.1(6)प्रसु./अनु-7/2024 दिनांक 21.03.2024 व 08.05.2024 द्वारा दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में राज्य सेवा के अधिकारियों की सिविल लिस्ट जारी करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

निर्देशानुसार सिविल लिस्ट के सम्बन्ध में स्प्रेडशीट "CIVIL LIST 01-04-2024" आपके महाविद्यालय/कार्यालय की ई मेल पर भेज दी गई है। आपके अधीन (यदि आपके महाविद्यालय में पदस्थापित शिक्षक को अन्यत्र महाविद्यालय में कार्य व्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है तो उसकी सूचना भी मूल पदस्थापित स्थान वाले प्राचार्य द्वारा ही भरी जानी है।) कार्यरत आचार्य/सह आचार्य/सहायक आचार्य/व्याख्याता RVRES के विवरण की स्प्रेडशीट "CIVIL LIST 01-04-2024" जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. स्प्रेड शीट सूची में जन्मतिथि/प्रथम नियुक्ति अथवा आदेश दिनांक/वर्तमान पदस्थापन स्थान की कार्यग्रहण दिनांक अथवा आदेश दिनांक में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे संशोधित करें।
3. गृह जिले के कॉलम में गृह जिला भरा गया है यदि कोई त्रुटि हो तो उसे संशोधित करें।
4. वेतनमान के कॉलम में वेतनमान (AL 10 या उससे अधिक जो भी प्राप्त कर रहे हैं) भरा जावे।
5. सूची में पक्ति संख्या 4445 से नीचे प्राचार्य/उपाचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षक की समस्त सूचनाये स्प्रेडशीट के कॉलम अनुसार भरी जावे।
6. सूचना शैक्षणिक अधिकारियों के सम्बन्ध में ही भरी जानी है।
7. अधिकारी के आपके महाविद्यालय में कार्यरत नहीं होने की स्थिति में विशेष विवरण कॉलम(12) में वर्तमान पदस्थापन स्थान भरा जाना सुनिश्चित करे
8. आपके महाविद्यालय में कार्यरत अन्य अधिकारी जोकि महाविद्यालय की सूची में अंकित नहीं है की स्प्रेडशीट सूची में पक्ति संख्या 4801 से अंकित किया जाना सुनिश्चित करे।
9. स्प्रेडशीट में नाम एवं संबंधित सूचना प्रदान किये गये क्रमांक पर ही भरे जावे।

स्प्रेडशीट दिनांक 27.05.2024 को सांय 3.00 बजे तक आवश्यक रूप से भरी जानी सुनिश्चित करे।

**इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें**

(प्रो.केशव शर्मा)

संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/पी.एण्ड सी./रूसा/विधि/आई.टी./राजसेस/निजी संस्था/अकादमी/RVRES / SVS), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
2. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/कोटा को पालनार्थ।
3. सहायक निदेशक(HRD) आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को पालनार्थ।
4. वेबसाइट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

RajKaj Ref  
7346770



Signature valid

संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर  
Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.05.21 16:46:20 IST  
Reason: Approved